यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-I राज्य कर खटीमा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-I राज्य कर खटीमा के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री र व भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 20.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री वनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 09.01.2017 से 18.01.2017 तक तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाये।

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	14005.18
2015-16	3952.60
2016-17	4325.48

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोज नागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-I, राज्य कर, खटीमा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-I, राज्य कर, खटीमा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्वाः माह 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग –दो "ब"</u>

प्रस्तर.01:–छुपायी गयी बिक्री के कारण राजस्व क्षति `0.99 लाख।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-I वा णज्य कर खटीमा के अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांछ में पाया गया क ब्यौहारी सर्वश्री सीमा होजरी टिन 05002730963 पंजीकृत ब्यौहारी है, जिनका व्यवसाय हौजरी गुडस की खरीद बिक्री करना है। कार्यालय के माह 04/2016 से माह 03/2017 तक के अभिलेखों,वर्ष 2013–14 की पत्रावली कर निर्धारण आदेश की जॉच में पाया गया कि ब्यौहारी के क्रय विक्रय में अन्तर निम्नवत थाः–

आरम्भिक स्टाक	`96,35,940.00
खरीद	`5,46,30,655.00
योग	`6,42,66,595.00
(–)अन्तिम स्टाक	`1,73,06,850.00
वास्तविक बिक्री जो होनी थी	`4,69,59,745.00
कर निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री	`4,49,74,273.00
अन्तर या छुपाई गयी बिक्री	`19,85,472.00

उपरोक्तानुसार `19,85,472.00 छुपी बिक्री पर पॉच प्रतिशत की दर से `99273.00 (1985472×5)पत्रावली व संलग्न करनिर्धारण आदेश में डेविट/क्रेडिट नोट का कोई उल्लेख नही किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

.

भाग –दो "ब"

प्रस्तर.02ः–चालानों की धनराशि का सत्यापन नही किया जाना `14.87 लाख

कार्यालय **डप्टी क मश्नर, (क0नि0)-I वा णज्य कर खटीमा** के माह 04/2016 से माह 03/2017 तक के अभिलेखों, की जॉच में पाया गया कि सर्वश्री मित्तल ट्रेडिंग में चालानों की छाया प्रति संलग्न है, मूल चालान नही। सर्वश्री जिन्दल इण्डस्ट्रीज के माह सितम्बर 2013 के चालान पर बैंक/कोषागार की मुहर नही लगी है।

व्यौहारी का नाम	वर्ष	माह	चालान की धनराशि (रु.में)
1.सर्वश्री मित्तल ट्रेडिंग	2013–14	10/2013	`5,13,975.00
		11/2013	`6,81,952.00
		12/2013	`2,34,155.00
		03/2014	`13,775.00
2.सर्वश्री जिन्दल इण्डस्ट्रीज			
खटीमा	2013–14	सितम्बर 2013	`42698.00
		योग	**`14,86555.00**

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः `14,87 लाख **के असत्या पत चालानो का** प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

STAN-1

प्रस्तर.01ः–ब्याज का अनारोपण `0.03 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 34 (4) के अनुसार स्वीकृत रूप के देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह) की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-I वा णज्यकर खटीमा के माह 04/2016 से 03/2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री राधाकृष्ण इंण्डस्ट्रीज खटीमा पंजीकृत व्यौहारी है। **व्यापार** धान से चावल के निर्माण एवं बिक्री का है। वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) एवं केन्दीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 (2) के अन्तर्गत आदेश 1388 दिनॉक 21.03.2016 पारित किया गया। कर निधारण वाद की संगत वर्ष की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में व्यापारी पर `8804.00/- केन्द्रीय बिक्री आदेश में मांग सृजित की गयी। जिसे व्यापारी को आदेश प्राप्ति के 60 दिन के भीतर दिनांक 01.10.2013 से जमा करने की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित नियमानुसार राजकोष में जमा करने हेतु आदेशित किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में व्यापारी द्वारा धनराशि `8804.00/- दिनांक 19.04.2016 को जमा करा दी गयी जबकि ब्याज की धनराशि जमा नही कराये जाने के बावजूद विभाग द्वारा आर – 3 पंजिका से मांग को समाप्त कर क्रम संख्या को सर्किल कर दिया गया है। ब्याज की गणना निम्न है।

`8804 × 30 माह × 1.25 /100 = 3302.00

(01.10.13 से 31.03.16 तक)

`8804 × 18 दिन × 1.25 /30×100 = 66.00

(01.04.16 से 18.04.16 तक)

योग = `3368.00

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सी.टी.-59/2004-05	--	02(1)
सी.टी-26/2006-07	--	01(1)
सी.टी-28/2008-09	02(1)	1(ख),1(ग),2 (2)
सी.टी-33/2009-10	1,2,3,4,5(5)	1,6,9(3)
सी.टी-19/2010-11	1,2(2)	1,2,3,4,5(5)
सी.टी-06/2012-13	1,3,4(3)	3,5,6,(क), 6(ख)(4)
सी.टी-46/2014-15	स्टेन 1,2,(2)	--
सी.टी-43/2015-16	--	1,2,3,4,5(5)
सी.टी-35/2016-17	1,2,3,(3)	1,2,3,(3)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-I राज्य कर खटीमा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री पी.एस. डुगरियाल	डी0सी0	01.04.16 से 24.07.16 तक
(ii)	ठा. रणवीर सिंह	डी0सी0	24.07.16 से 31.03.17 तक
(iii)	श्री तारकेश्वर मिश्रा	डी0सी0	31.03.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-I राज्य कर खटीमा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र